तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
11/0/25	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:— प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त अनवानी वाद मे विवादित भूमि व विवादित दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 22.01.2013 जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में करवाई गई थी जिसको श्रीमानजी की अदालत मे निरस्त करने के लिये पेश किया गया है जिसको निरस्त करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है एक वाद उक्त दस्तबरदारी को निरस्त करने के लिये न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर में अनवानी वाद प्रदीप कुमार बनाम प्रभूराम आदि वाद संख्या 02/2024 जैरका है इसलिये कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाध विषय उसी के अधिक मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारो के बीच में या जिनके व्युत्पत्र अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है किसी पुनर्वन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षत और सारत विवाध है तो आगमी कार्यवाही नही की जा सकती है। उक्त दावा व प्रार्थना पत्र सेम प्रकार का सेम पक्षकार है व किसी पक्षकारो के मध्य किसी सेम विषय वस्तु का वाद अदालत मे नही लाया जा सकता है इसलिये दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है अनवानी वाद व प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट को सिविल न्यायालय के वाद प्रदीप कुमार बनाम प्रभूराम के निर्णय तक स्थगित रखा जावे। वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है बिना किसी कानून कायदे के पेश किया गया है वादी अपार्थी ने यह वाद इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दफा 207 के अनुसार उक्त दावा रेवेन्यू न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है दावा की रिलिफ व तथ्य सिविल न्यायालय के दावा की रिलिफ व तथ्य भिन्न भिन्न है व दावा की नेचर अलग अलग है घोषणात्मक वाद का अनुतोष रेवेन्य कोर्ट ही दे सकता है दोनो दावों की रिलिफ अलग अलग है तथा सिविल कोर्ट में दस्तबरदारी निरस्त करवाने का वाद हे जबकि इस दावा में घोषणा चाही गई है दस्तावेज दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बजाय समस्त काश्तकारो के पक्ष में मानने की घोषणा चाही गई है इसप्रकार अनुतोष अलग अलग है प्रार्थना पत्र में 10 सीपीसी के प्रावधान पूर्ण नही होते है केवल अप्रार्थी/वादी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मेन्टेबल नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथ्यो पर मनन किया गया प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का कथन है कि हस्तगत न्यायालय में विचाराधीन वाद व सिविल न्यायालय का वाद एक सामान एक विषय वस्तु है इसलिये हस्तगत वाद को सिविल न्यायालय के वाद के निस्तारण तक स्थगित करी जावे जबकि अप्रार्थी/वादी का कथन है कि सिविल न्यायालय के वाद में अनुतोष अलग अलग है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे हस्तगत न्यायालय में विचाराधीन वाद में वादी अनुतोष	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested

चाहा गया है दस्तबरदारी दिनांक 22.01.2013 जो प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई को सभी काश्तकारो के पक्ष में मानी जाकर घोषणा की जावे तथा सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में दस्तबरदारी दिनांक 22.01.2013 को निरस्त करवाने का पेश किया गया है

दोनो की वाद दस्तवरदारी दिनांक 22.01.2013 पर आधारित है हस्तगत प्रकरण में यदि वादी का वाद डिक्री किया जाता है और सिविल न्यायालय के द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 22.01.2013 को निरस्त कर दिया जाता है तो इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश औचित्यहिन हो जावेगा क्योकि जिस दस्तबरदारी के आधार पर घोषणा की जावेगी वह दस्तबरदारी ही निरस्त हो जाती है तो इस न्यायालय के द्वारा की गई घोषणा प्रभावहीन हो जावेगी

हस्तगत न्यायालय में विचाराधीन वाद एव सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद दस्तबरदारी दिनांक 22.01.2013 पर आधारित होने के कारण हस्तगत न्यायालय में विचाराधीन वाद को सिविल न्यायालय के वाद के निर्णय तक स्थगित रखी जाना न्यायोचित एव विधि सम्मत है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस वाद/प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट की आगामी कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 02/2024 अनवानी प्रदीपकुमार बनाम प्रभूराम के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested